<u>न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ जिला झुन्झुनू</u>

पीठासीन अधिकारी : स्वाति आर.टी.एस

मिसल नं.– 72/2023

सरकार बनाम ताराचन्द, महेन्द्र पुत्र चन्दगी
जाति मेघवाल निवासी काजडा तहसील
सूरजगढ

किस्म मुकदमा–अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः 22.01..2024

<u>निर्णय</u>

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में सक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल ताराचन्द, महेन्द्र पुत्रान चन्दगी जाति मेघवाल निवासी काजडा तहसील सूरजगढ द्वारा रोही मौजा काजडा की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 181 के कुल रकबा 0.51 है. किस्म गै. मु. रास्ता में से 0.08 है. भूमि को तारबाड करके अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया । गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिए जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 15 रूपए कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवायी जावे। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतू लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति)
तहसीलदार, सूरजगढ

दि0 [illegible] 23-24 में [illegible] 4
के [illegible] राशि
15/- [illegible] जमा की गई।